न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/25

श्रीमती मीना कुमारी उम्र 49 साल धर्मपत्नी श्री रमेश चन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर तृतीय, कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जमना लाल
2. दुर्गाशंकर मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/1. खुशी उम्र 12 वर्ष पुत्री दुर्गाशंकर
   2/2. जगन्नाथ उम्र 10 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर
   2/3. रघुवीर उम्र 08 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर ।
   2/4. सीमा पत्नी दुर्गाशंकर
3. नन्दलाल
4. गोपाली बाई
5. महावीर
6. बन्टी
7. मनभर पुत्री श्रीलाल
8. रामगोपाल
9. सत्यनारायण
10. मनभर माता नट्टी बाई
11. सरकार

——रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/26

श्रीमती मीना कुमारी उम्र 49 साल धर्मपत्नी श्री रमेश चन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर तृतीय, कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जमना लाल
2. दुर्गाशंकर मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/1. खुशी उम्र 12 वर्ष पुत्री दुर्गाशंकर
   2/2. जगन्नाथ उम्र 10 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर
   2/3. रघुवीर उम्र 08 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर ।
   2/4. सीमा पत्नी दुर्गाशंकर

3. नन्दलाल
4. गोपाली बाई
5. महावीर
6. बन्टी
7. मनभर पुत्री श्रीलाल
8. रामगोपाल
9. सत्यनारायण
10. मनभर माता नट्टी बाई
11. सरकार

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 16/301

1. नन्दलाल पुत्र नूरका जाति माली ।
2. गोपाली पुत्री नूरका जाति माली निवासीगण खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. जमना लाल
2. दुर्गाशंकर मृतक जरिये कायममुकामान :-
   2/1. खुशी उम्र 12 वर्ष पुत्री दुर्गाशंकर
   2/2. जगन्नाथ उम्र 10 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर
   2/3. रघुवीर उम्र 08 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर ।
   2/4. सीमा पत्नी दुर्गाशंकर
3. नन्दलाल
4. गोपाली बाई
5. महावीर
6. बन्टी
7. मनभर पुत्री श्रीलाल
8. रामगोपाल
9. सत्यनारायण
10. मनभर माता नट्टी बाई
11. सरकार

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपील संख्या 17/25 एवं 17/26 में अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 16/301 में अपीलान्ट की ओर से ।

3. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व 8 से 10 की ओर से तीनों अपीलों में ।
4. श्री रामप्रसाद शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5, 6 व 7 की ओर से अपील संख्या 17/26 में

निर्णय

दिनांकः 12.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित डिक्री 06.08.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. तीनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त तीनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय के किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम खेडली तंवरान तहसील दीगोद की आराजी कुल 09 किता की 3.26 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 के साथ प्रतिवादी कम 2 से 5 का नाम भी अंकित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी के 1/3 हिस्से की भूमि को वादिनी के अलग खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू–भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा उक्त भूमि में से वादिनी को 1/3 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री करते हुए अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित डिक्री 06.08.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.02.2016 पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री 06.08.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में तीनों अलग–अलग अपील पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अपील संख्या 17/25 एवं 17/26 में अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलान्ट उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से उनके हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में हित–निहित होना बताया है और प्रकरण में अपने आपको हितबद्ध पक्षकार होना बताया है । अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्टगण ने अपील संख्या 17/25 एवं 17/26 के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 26.12.2016 को वादग्रस्त आराजी में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहने पर हुई जिस पर उक्त अपीधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर ये अपीलें पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपीलान्ट ने अपील संख्या 16/301 में भी धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.05.2016 को हुई । नकल दिनांक 31.05.2016 को प्राप्त की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. तीनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपील संख्या 17/25 एवं 17/26 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी छोटू के खाते में दर्ज थी । छोटू के देहान्त के बाद उक्त भूमि लालू, पन्नी व नूरका बाई, नट्टी बाई, भूली बाई पुत्रियॉ छोटू लाल के नाम दर्ज हुई । बाद में उनकी पत्नी पन्नी बाई का स्वर्गवास हो जाने से उनके पुत्र व पुत्रियों का अधिकार रहा । उसके बाद नट्टी बाई का स्वर्गवास हो गया जिसके रामगोपाल, मनभर व सत्यनारायण वारिसान हैं । उसके बाद लालू का स्वर्गवास हुआ और उसके बाद नूरका का स्वर्गवास हुआ मृतक लालू के हिस्से के अधिकारी मात्र नूरका व भूली बाई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने लालू के 1/4 हिस्से को तीनों बहिनों के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया । सम्पूर्ण आराजी में नूरका बाई का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया । नूरका बाई ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2006 से अपीलान्ट को विक्रय की गई है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 05.09.2006 अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुका है । अपीलान्ट को खसरा नम्बर 853 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि पर कब्जा प्रदान किया गया तब से ही वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया । अंतिम डिक्री जारी करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील -अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित डिक्री 06.08.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.02.2016 निरस्त फरमाई जावे ।

12. अपील संख्या 16/301 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी अपील में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा श्री सी0एल0 गोचर को अधिवक्ता नियुक्त

किया गया था परन्तु उनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया । उसी बीच प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया और अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर निर्णित कर दिया जबकि पक्षकार स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे । अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट से सहमति नहीं ली गई थी । दिनांक 13.07.2015 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.08.2015 नियत की गई थी और दिनांक 06.08.2015 को आदेश में संशोधन किया गया है । छोटू लाल ने अपीलान्ट के पिता किशन लाल को घर जंवाई रखा था तब से ही अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज हैं । भूली बाई एंव नट्टी बाई का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । मीना कुमारी दावे में पक्षकार नहीं थी फिर भी उनका हिस्सा पृथक किया गया है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की डिकी कब्जेधारी को ही जारी की जा सकती है । वादग्रस्त आराजी पर .वादीगण का कब्जा नहीं था । इस कारण दावा खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित डिकी 06.08.2015 एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.02.2016 निरस्त फरमाये जावे ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत में पक्षकारान के अभिभाषकगण की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की डिकी जारी की गई है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट मीना कुमारी के द्वारा जो आराजी कय की गई है उसके बाबत् अंतिम डिकी उसके पक्ष में जारी की गई है उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है । अपीलान्ट ने जो कथन किये हैं वो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हैं । दावा पहले पेश किया गया था दौराने दावा अपीलान्ट मीना कुमारी ने वादग्रस्त आराजी कय की है । वादी को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी । यदि अपीलान्ट पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में बनना चाहती थी तो वह प्रार्थना पत्र पेश कर सकती थी । दौराने दावा यदि किसी प्रकार का विकय होता है तो वह सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार विधि मान्य नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार डिकी जारी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित डिकी 06.08.2015 एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.02.2016 बहाल रखा जावे । अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2015 पेज 960 उद्धरत की ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्टगण ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा पेश किया गया है उसमें अपीलान्ट मीना कुमारी पक्षकार नहीं है जबकि वो जो अंतिम डिकी जारी की गई है उसमें मीना कुमारी के खाते में 03 खसरा नम्बरान की आराजी दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 दिनांक 23.09.2014 संलग्न है उसके अनुसार अपीलान्ट मीना कुमारी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के लिए सहखातेदार के रूप में दर्ज हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिकी दिनांक 13.07.2015 अर्थात् इस जमाबन्दी के पेश होने के आद पारित की है । ऐसी स्थिति में मीना कुमारी अधीनस्थ

न्यायालय में पेश किये गये दावे में आवश्यक पक्षकार थी जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । अंतिम डिकी में मीना कुमारी को बिना पक्षकार बनाये हिस्सा दे दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । दिनांक 13.07.2015 को वादीगण के वकील उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादी कम 1/3/1 से 1/3/3 के अभिभाषक श्री सी0एल0 गोचर की उपस्थिति दर्ज की है, शेष पक्षकारान न तो उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई लिखित राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन विभाजन की प्रारम्भिक डिकी जारी की गई है । दिनांक 06.08.2015 को वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस डिकी में संशोधन किया गया है और दिनांक 02.02.2016 को विभाजन की अंतिम डिकी जारी की गई है । बंटवारा प्रस्ताव भी पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं पक्षकारों की मौके पर उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गई है, जबकि राजस्व मण्डल निमयों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रसताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करने चाहिए ।

16. अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक ने यह भी कथन किया है कि पन्नीबाई की मृत्यु के बाद नट्टी बाई की मृत्यु हुई है और नट्टी बाई की मृत्यु के बाद लालू का स्वर्गवास हुआ है । ऐसी स्थिति में नट्टी बाई और लालू की मृत्यु के दिनांक का साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय करने के उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व तय किये जा सकते हैं ।

17. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक एवं अंतिम डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण जारी की है जो निरस्त होने योग्य है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट संख्या 17/25 एवं 17/26 तथा 16/301 तीनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णएवं प्राथमिक डिकी दिनांक 13.07.2015 एवं संशोधित डिकी 06.08.2015 एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.02.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से प्रारम्भिक डिकी पारित करें । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिकी जारी की जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा